27.1.17

पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 24.3.17 को पेश हो ।

आदेशानुसार

रीडर

24.3.17 पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी 28.4.17 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

28/4/17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 19.5.17 को पेश हो ।

आदेशानुसार

न्याय आपके द्वार अभियान - 2017

कैम्प कोर्ट : भिलवाड़ा

19.5.17 पत्रावली कैम्प कोर्ट भिलवाड़ा में पेश हुयी। प्रतिवादी गोविन्द स्वयं उपस्थित। राज्य की ओर से पटवारी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत वाद में वादीगण ने जरिये इकरारनामा दिनांक 30.1.91 से ख. नं 619 रकबा ... पर प्रताप कि इसी पर गुजर का हिस्सा क्रय करना बताया है। वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश नहीं किया है। वादीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें। वाद खारिज योग्य है।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : भिलवाड़ा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..मुकाम..

....बनाम..

किस्म मुकदमा..नं.. सन..............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बेवला के खतौनी ख.नं 619 रकबा 21-2-10 हाल ख.नं 995 (1.73), 1023 (1.69) की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की है। प्रतिवादीगण के पिता प्रताप वल्द हमीरा ने उक्त आराजी के हक अपना हिस्सा जरिये इकरारनामा दिनांक 30.1.91 को वादीगण को बेच दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया वादग्रस्त आराजी उपखण्ड / पुराने व अन्य सहभागियों की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी के हक अपना हिस्सा वादीगण को पिता / पुत्र को बेचान कर दिया है किन्तु वादीगण ने इस सम्बन्ध में पास अपंजीकृत इकरारनामे	

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट : [signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को द्वारा पुष्ट प्रकट की है। इकरारनामे के आधार पर राजस्व अभिलेख में खतौनी प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः इकरारनामा अपंजीकृत है जो साक्ष्य के लिये ग्राह्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर चलने योग्य नहीं है। अतः ग्राम बैंवजा के खसरा नम्बर 995 रकबा 1.73, 1023 रकबा 1.69 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की पर्त डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार हो कर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : पीलीभीत